



कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र.) पिन -482001

दूरभाष 0761-2991294, E-mail: dlsajbp@gmail.com, secdlsajbp@mp.gov.in

क./349/स्था./जिविसेप्रा/2026

जबलपुर, दिनांक 05/05/2026

//मर्ती विज्ञप्ति//

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, पत्र क./फा.नं.337/स्था./राविसेप्रा/126/2026 जबलपुर, दिनांक 09.04.2026 में दिए गए निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर अंतर्गत नालसा अनुदान से प्राप्त बहुउपयोगी वाहन के लिए 02-वाहन चालकों (01-राज्य प्राधिकरण के लिए एवं 01-जिला प्राधिकरण के लिए) की 02वर्ष अवधि हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

1- आवेदन पत्र के संबंध में विवरण :-

1	आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि:-	दिनांक 06.05.2026 से प्रारंभ
2	आवेदन करने की अंतिम तिथि:-	दिनांक 20.05.2026 तक (कार्यालयीन समय-शाम 05.30 बजे तक)
3	पद का नाम एवं संख्या:-	वाहन चालक-02 पद (पूर्णतः संविदा) (01-राज्य प्राधिकरण के लिए एवं 01-जिला प्राधिकरण के लिए)
4	मानदेय :-	राशि रु.14,000/- (प्रतिमाह निश्चित)

2- विज्ञप्ति की सूचना :-

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञप्ति संबंधी विस्तृत विवरण म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट <https://madhyapradesh.nalsa.gov.in> तथा कार्यालय जिला न्यायालय, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट <https://jabalpur.dcourts.gov.in> से प्राप्त कर सकते हैं।

3- योग्यता :-

म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2009 के नियम 6(2) के अनुसार वाहन चालक के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ निम्नानुसार हैं :-

- आवेदक/आवेदक/उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, किंतु आयु 40 वर्ष से अधिक न हो है।
- शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता :- अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण हो,
- अधिकृत वैध एवं जीवित ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य हैं,
- समस्त प्रकार (हल्के मोटरयान एवं भारी मोटरयान) के वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य हैं,
- योग्य प्रशिक्षित मैकेनिक को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4- आवेदन पत्र एवं स्व-प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज :-

- म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2009 के नियम 6(2) में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज जैसे-शैक्षणिक अंकसूची, म.प्र.मूल निवासी, जीवित रोजगार कार्यालय पंजीयन, अनुभव प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाईसेंस एवं आवश्यक समस्त दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं 01-नवीन रंगीन छायाचित्र (पासपोर्ट साईज फोटो) तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "वाहन चालक-संविदा पद हेतु आवेदन पत्र" अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षणिक व अनिवार्य योग्यता व पात्रता को समर्थित करने वाले केवल पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र ही मान्य/स्वीकार किए जाएंगे।
- यदि किसी उम्मीदवार के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं वह अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।



कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र.) पिन -482001

{दूरभाष 0761-2991294, E-mail- dlsajbp@gmail.com, secdlsajbp@mp.gov.in}

5- आवेदन पत्र का प्रेषण :-

- समस्त इच्छुक उम्मीदवार, अपने आवेदन पत्र, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा।
- निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो।
- साथ ही आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने की दशा में संबंधित आवेदक की अभ्यार्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

6- प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी :-

वाहन चालक की संविदा पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी के उपरांत, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट <https://madhyapradesh.nalsa.gov.in> तथा कार्यालय जिला न्यायालय, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट <https://jabalpur.dcourts.gov.in> पर तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सूचना पटल पर साक्षात्कार तथा व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची, यथाशीघ्र प्रसारित की जाएगी।

7- चयन प्रक्रिया/साक्षात्कार :-

- प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जि.वि.से.प्रा. जबलपुर द्वारा गठित चयन समिति के सदस्यगण-पात्र उम्मीदवारों के मूल शैक्षणिक, अनुभव व अन्य समस्त दस्तावेजों व साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट/परीक्षा के दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले योग्य उम्मीदवार का संविदा पद पर 01-वाहन चालक के रूप में चयन करेंगे।
- चयन प्रक्रिया में 1 : 3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची संधारित होगी, छः माह पश्चात् अथवा अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत प्रतीक्षा सूची निरस्त मानी जावेगी।
- पात्र आवेदकों को चयन समिति/बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से स्वयं साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट/परीक्षा के लिए नियत तिथि पर उपस्थित रहना होगा।
- उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का असत्य/कुटरचित पाये जाने पर, उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वतः तत्काल प्रभाव से समाप्त होकर, किसी भी स्थिति/स्तर पर निरस्त मानी जावेगी।
- पात्र आवेदकों को साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट/परीक्षा दिनांक के दिन अपने आवेदन पत्र में संलग्न स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, जिसके सत्यापन उपरांत साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट/परीक्षण चयन समिति द्वारा लिया जाएगा।
- पात्र आवेदक के साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट/परीक्षा के दिनांक को अनुपस्थित रहने की दशा में, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

8- चयन परिणाम :-

- चयन समिति/बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सूचना पटल तथा म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट <https://madhyapradesh.nalsa.gov.in> तथा कार्यालय जिला न्यायालय, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट <https://jabalpur.dcourts.gov.in> पर प्रकाशित की जाएगी।
- एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता देते हुए सूची तैयार की जाएगी।



कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र.) पिन -482001

{दूरभाष 0761-2991294, E-mail- dlsajbp@gmail.com, secdlsajbp@mp.gov.in}

- अंतिम परिणाम सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक की नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसे की नियमानुसार आवश्यक समझा जाए, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी, यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान त्रुटि ध्यान में आती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर का परिणामिक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

9- नियुक्ति के संबंध में :-

- चयनित आवेदकों की नियुक्ति माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्र.फा.नं. 337/स्था./राविसेप्रा/126/2026 जबलपुर, दिनांक 09.04.2026 के अनुसार, संविदा नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी के कर्तव्य पर उपस्थित होने के उपरांत अभ्यर्थी को वैध नोटराईज्ड अनुबंध (निर्धारित न्याय शुल्क अदा कर) निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रारंभ में दो वर्ष के लिए संविदा आधार पर की जाएगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण एवं निरंतरता की आवश्यकता को देखते हुए एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा। संविदा अवधि के पश्चात् नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- संविदा वाहन चालक की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति व अन्य प्रशासनिक स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी समय, कारण बताए एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह के वेतन के बराबर राशि जमाकर त्यागपत्र दे सकेगा।
- संविदा वाहन चालक के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा की जाएगी और संतोषजनक प्रदर्शन न किए जाने तथा अनुशासन के अनुरूप न पाए जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा।
- चयनित आवेदक के दस्तावेजों का प्रमाणिकरण/सत्यापन, आपराधिक+चारित्रिक सत्यापन/पुलिस वैरीफिकेशन प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, कार्यालय द्वारा करवाया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का असत्य/कुटुरचित पाये जाने पर, उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वतः तत्काल प्रभाव से समाप्त होकर, किसी भी स्थिति/स्तर पर निरस्त मानी जावेगी।
- चयनित आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्धारित शुल्क (यदि कोई हो) अदा कर मेडिकल जांच करवाकर जिला मेडिकल बोर्ड से फिटनेस सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अनफिट/अयोग्य पाए जाने पर उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वतः तत्काल प्रभाव से समाप्त होकर, किसी भी स्थिति/स्तर पर निरस्त मानी जावेगी।

10- शुद्धि पत्र :-

उपरोक्तानुसार पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन शुद्धिपत्र के माध्यम से जिला न्यायालय जबलपुर की आधिकारित वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित शुद्धिपत्र को सभी अभ्यर्थियों के लिए उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। शुद्धिपत्र की जानकारी प्राप्त ना होने की दशा में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

11- आवेदनों का विनष्टीकरण :-

आवेदन पत्रों का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर व अन्य सामग्री का चयन सूची अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा।



कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र.) पिन -482001

{दूरभाष 0761-2991294, E-mail- dlsajbp@gmail.com, secclsajbp@mp.gov.in}

//चयन एवं अभ्यर्थी के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी//

1. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर अंतर्गत वाहन चालक की भर्ती पूर्ण रूप से संविदा आधार पर प्रारंभ में दो वर्ष के लिए होगी।
2. आवेदक/आवेदक/उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, किंतु आयु 40 वर्ष से अधिक न हो है।
3. अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें साक्षात्कार में मूल दस्तावेजों एवं पहचान पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी जाती है अथवा कोई जानकारी नहीं दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर चयन/अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं होगा।
5. साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट/परीक्षा, दिनांक की सूचना म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट <https://madhyapradesh.nalsa.gov.in> तथा कार्यालय जिला न्यायालय, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट <https://jabalpur.dcourts.gov.in> पर एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण/कार्यवाही किसी पुलिस थाना/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दंडित किया गया हो तो कार्यवाही के परिणाम/निर्णय संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान करें।
7. साक्षात्कार एवं व्यवहारिक/दक्षता परीक्षा हेतु तिथी परिवर्तन संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
8. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत समस्त आवश्यक दस्तावेजों के असत्य/कुटरचित पाये जाने पर तथा चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान अनफिट पाए जाने पर, उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वतः तत्काल प्रभाव से समाप्त होकर, किसी भी स्थिति/स्तर पर निरस्त मानी जावेगी।
9. पात्र अभ्यर्थियों की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सूचना पटल पर चस्पा तथा म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट <https://madhyapradesh.nalsa.gov.in> तथा कार्यालय जिला न्यायालय, जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट <https://jabalpur.dcourts.gov.in> पर प्रकाशित की जाएगी। सूचना न मिलने की दशा में म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा जिला न्यायालय, जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
10. उपरोक्तानुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2009 तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को ही होगा।

सही/

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जबलपुर (म.प्र.)



कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र.) पिन - 482001

{दूरभाष 0761-2991294, E-mail- dlsajbp@gmail.com, secdlsajbp@mp.gov.in}

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्राप्त अनुदान अंतर्गत बहुउपयोगी वाहन के लिए
वाहन चालक की सविदा आधार पर भर्ती हेतु
// आवेदन पत्र //

स्वप्रमाणित नवीनतम
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ चस्पा करें।

आवेदन पत्र क्रमांक(कार्यालय उपयोग हेतु)

- आवेदक का नाम -
- पिता/पति का नाम -
- जन्म तिथि: - आयु- 01.05.2026 को वर्ष माह दिन
(जन्म तिथि के संबंध में आवश्यक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
- लिंग - पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर
- वर्तमान पूर्ण पता -
- स्थायी पूर्ण पता -
- मोबाईल नंबर -
(व्हाट्सएप नंबर सहित)
- ईमेल आई-डी -
- पैन कार्ड नंबर -
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
- आधार कार्ड नंबर -
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
- ड्राइविंग लाईसेंस -
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
- शैक्षणिक योग्यताएँ - केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/
विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

क्र.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण/वर्ष	प्राप्त प्रतिशत
1				
2				
3				
4				
5				

13. कार्य अनुभव :-

यदि हो तो अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री उम्र वर्ष
निवासी जिला-..... राज्य-..... यह घोषणा
करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के
अनुसार पूर्णतः सत्य व सही है। मैंने इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है, मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या
कुटरचित दस्तावेज या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी वापस किया जाएगा। मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने, न्यायालय तथा
अन्य किसी विभाग में कोई आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :-

- यदि कोई आपराधिक प्रकरण/कार्यवाही संस्थित अथवा निराकृत हुई हों तो विवरण एवं दस्तावेज पृथक से प्रस्तुत करें।
- आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंकसूची/डिग्री/डिप्लोमा की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।